

आदेश

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022"

तस्वीर रिपोर्ट के आधार पर छद्म का अपराध किया जा कर फैसला
सुमार कर दायित्व प्रकृत है।

8/4/22
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला विरसमारी

